शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर

806

जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

2017-18

NAAC GRADE-B

प्रवेश विवरणिका

Admission & Information Brochure

Phone/ Fax: 07775 266657, Email- pri.gdc.surajpur@gmail.com

web- www.govtcollegesurajpur.in

मूल्य रु. 30.00

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर

जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

प्राचार्य एवं संरक्षक

डॉ. एस.एस. अग्रवाल

मो.नं.-9425585792

सत्र : 2017-2018

(1) शिक्षण सत्र दिनांक 1.06.2017 से प्रारंभ होगा।

(2) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लेवें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।

(३) प्रवेश लेने के एक सप्ताह पश्चात् छात्र/छात्रा अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।

(4) महाविद्यालय में अनुशासन एवं पठन-पाठ में छात्र/ छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।

(5) महाविद्यालय परिसर में मोबाईल पूर्णत प्रतिबंधित है।

(6) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

(7) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछडा वर्ग के छात्र/ छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।

(8) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन/हडताल/हिंसक कार्यवाही एवं अन्य किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

(९) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(10) अवधान राशि (कॉशन मनी) देय होने पर रसीद जमा के पश्चात् मनीआर्डर द्वारा संबंधित के पते पर भेजी जावेगी।

शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

संकाय	कक्षा	विषय
कला संकाय	स्नातक	हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र
	स्नातकोत्तर	हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र (सेमेस्टर प्रणाली)
वाणिज्य संकाय	स्नातक	सभी अनिवार्य विषय
	स्नातकोत्तर	एम.कॉम (सेमेस्टर प्रणाली)
विज्ञान संकाय	स्नातक	वनस्पति शास्त्र, जंतुविज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक, गणित
कम्प्यूटर	स्नातक	बी.सी.ए.
	डिप्लोमा	डी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए.

महाविद्यालय के सेट-अप की जानकारी

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पद के विरूद्ध अध्यापन का कार्य अतिथि व्याख्याताओं से कराया जाता है।
प्राचार्य	1	1	0	
प्राध्यापक				
हिन्दी	1	–	1	
राजनीति	1	–	1	
समाज शास्त्र	1	–	1	
अर्थशास्त्र	1	–	1	
वाणिज्य	1	–	1	
सहायक प्राध्यापक				
हिन्दी	1	1	0	
अंग्रेजी	1	–	1	
राजनीति	2	1	1	
समाज शास्त्र	1	1	0	
इतिहास	1	1	0	
अर्थशास्त्र	1	–	1	
वाणिज्य	1	–	1	
रसायन शास्त्र	1	–	1	
वनस्पति शास्त्र	1	–	1	
जन्तु विज्ञान	1	–	1	
भौतिक	1	–	1	
गणित	1	–	1	
ग्रंथपाल	1	–	1	
क्रीडा अधिकारी	1	–	1	
तृतीय श्रेणी				
छात्रावास अधीक्षक	1	1	0	
सहायक ग्रेड-1	1	1	0	
सहायक ग्रेड-2	1	1	0	
सहायक ग्रेड-3	2	–	2	
प्रयोग शाला शिक्षक	2	1	1	
चतुर्थ श्रेणी				
प्रयोग शाला परिचारक	2	–	2	
बुक लिफ्टर	1	1	0	
भृत्य	2	1	1	
चौकीदार	1	–	1	
स्वीपर	1	1	0	
भृत्य (छात्रावास)	2	–	2	
स्वच्छक (छात्रावास)	1	–	1	
अंशकालीन स्वच्छक (छात्रावास)	1	–	1	

परिचय-

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर की स्थापना नागरिकों के लम्बे संघर्ष के परिणाम स्वरूप सत्र 1984-85 में तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंह पोर्ते के द्वारा खोलने की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में सीमित संसाधनों के साथ नगर पालिका से लगे नेहरू बाल सदन के छोटे से भवन व नगरपालिका के सामुदायिक हाल में महाविद्यालय की शुरूआत की गई। जन सहयोग से फर्नीचर, पंखा एवं अन्य आवश्यक संसाधन जुटा कर कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष की कक्षाएँ प्रारम्भ की गई, और बाद में नगर पालिका के द्वारा आवश्यकता पडने पर दो अतिरिक्त कमरे महाविद्यालय को प्रदान किये गए, जिसमें बी.ए. एवं बी.काम अंतिम की कक्षाएँ प्रारम्भ हो सकी।

सात वर्षो के बाद 17 सितम्बर 1991 में तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा ने 26.5 एकड भू-खण्ड के साथ महाविद्यालय को स्वयं के भवन की सौगात दी। भवन मिल जाने से छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण मिला, समय के साथ-साथ महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या लगातार बढती गई। उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में सबसे बडी तहसील होने का गौरव प्राप्त करने वाले आज के जिला मुख्यालय सूरजपुर के महाविद्यालय को शासन के द्वारा जिले का अग्रणी महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है तथा **नैक मूल्यांकन 2016-17 में ग्रेड- B** प्रदान किया गया है।

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर प्रारंभ में गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध रहा, वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर से सम्बद्ध है। महाविद्यालय का भवन सूरजपुर के गुरूघासीदास वार्ड क्रमांक 09 में स्थित है। महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वर्तमान में संशोधित नामकरण पूर्व विधायक पं. रेवतीरमण मिश्र के नाम से रखा गया है।

महाविद्यालय की अन्य व्यवस्थाएँ, जिनका पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना अनिवार्य है -

(1) **ड्रेस कोड**- महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है , सभी छात्र/छात्राऐं कक्षाओं में एवं महाविद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में निर्धारित गणवेश में उपस्थित होगें।

(2) **छात्र अभिभावक योजना**- छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र अभिभावक योजना लागू है, जिसके प्रावधान के अनुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए महाविद्यालय का एक प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक अभिभावक के रूप में कार्य करेगा, इस छात्र अभिभावक के समक्ष संबंधित छात्र/छात्रा पठन-पाठन से संबंधित व अन्य समस्याओं को व्यक्त कर सकेगा/ सकेगी। आवश्यकता होने पर संबंधित छात्र/छात्रा के पिता/माता/अभिभावक को महाविद्यालय में भी चर्चा के लिए बुलाया जा सकेगा।

(3) **रैगिंग** को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें लिप्त पाए जाने वाले छात्र/छात्रा का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु भी प्रकरण प्रेषित किया जावेगा।

(4) छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी छात्र/छात्राओं को यूनिट टेस्ट तिमाही/छ:माही परीक्षा में शामिल होना व उत्तीर्ण होना आवश्यक है , साथ ही नियमित परिक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75% उपस्थिति भी आवश्यक है।

(5) समय-समय पर जारी होने वाली सभी आदेशों/निर्देशों का पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना आवश्यक होगा।

(6) स्नातक विषयों में महाविद्यालय में तीन संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है। (अ) कला संकाय- हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, (ब) विज्ञान संकाय- वनस्पतिविज्ञान, रसायनविज्ञान, जन्तुविज्ञान, भौतिकी एवं गणित (स) वाणिज्य संकाय- समस्त अनिवार्य विषय है। बी.सी.ए., डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. की कक्षाएँ भी संचालित है।

(7) स्नातकोत्तर विषयो में (सेमेस्टर प्रणाली) महाविद्यालय में हिन्दी, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में अध्ययन की सुविधा है।

(8) महाविद्यालय में क्रीड़ा हेतु मैदान उपलब्ध है , जहाँ प्रभारी प्राध्यापक के सहयोग से सम्पूर्ण क्रिया-कलापों का संचालन किया जाता है।

(9) महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक इकाई है, जिसमे 100 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य है। सभी सदस्य योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रूचि लेकर पारस्परिक सहयोग से योजनाओं को निष्ठापूर्वक पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करते है।

(10) महाविद्यालय में युथ रेड्क्रास की इकाई संचालित है। जिसके सदस्य महाविद्यालय के सभी प्रवेशित छात्र/छात्राये है। सक्रिय सदस्यों की एक इकाई गठित की जाती है जो कि सभी प्रकार के रचनात्मक एवम् सामाजिक कार्यो में सक्रिय भाग लेने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम रक्तदान में छात्र/छात्राएँ भाग लेते हुए स्वेच्छित रक्तदान करते है।

(11) यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अनिधियम 1956 की धारा 2(F) 12 (B) में पंजीकृत है।

महाविद्यालय में स्व वित्तीय योजना जनभागीदारी के अंतर्गत खोले गये विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी-

(1) **बी.सी.ए.- निर्धारित सीट- 60**, प्रवेश की पात्रता - बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में वे समस्त छात्र/छात्रायें प्रवेश की पात्रता रखते है जिन्होने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। बी.सी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्षो का होगा। गणित विषय से 12 वीं उत्तीर्ण किये हुए छात्र/छात्राओं को बृजकोर्स की परीक्षा नही देनी होगी, जबकी अन्य दूसरे विषयों के छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष की परीक्षा के साथ ही बृजकोर्स की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

प्रवेश शुल्क- बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रवेश शुल्क रू. 6000.00 छ: हजार रूपये प्रति वर्ष होगा।

2. डी.सी.ए. – निर्धारित सीट 40– डी.सी.ए. एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होगा जिसमें वे सभी छात्र/छात्रायें प्रवेश की पात्रता रखते है। जिन्होने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।

प्रवेश शुल्क– उक्त कोर्स के लिए प्रवेश शुल्क 5000.00 पांच हजार रूपये निर्धारित किया गयाहै। जो कि प्रवेश के समय ही भुगतान करना होगा।

3. पी.जी.डी.सी.ए. – निर्धारित सीट 50– पी.जी.डी.सी.ए. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए स्नातक या स्नातकोर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको का होना अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का होगा।

प्रवेश शुल्क– प्रवेश शुल्क की राशि 10000.00 दस हजार रू. होगी। कम से कम 10 प्रवेश होने पर ही पाठ्यक्रम संचालित किया जावेगा।

4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन– निर्धारित सीट 50 – यह पाठ्यक्रम तीन वर्षो के लिए होगा। जो छात्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन लेगे, उन छात्रों का एक विषय का ग्रुप कम हो जाएगा। वाणिज्य के प्रथम वर्ष के छात्रों को जो कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय लेगे उन्हे व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण की परीक्षा नही देनी होगी।

प्रवेश शुल्क– जो छात्र उक्त पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, उन्हे 5000.00 रूपये वार्षिक शुल्क के रूप में प्रवेश के समय भुगतान करना होगा।

5.	बी.काम प्रथम निर्धारित सीट	–	140
6.	बी.एस.सी. प्रथम निर्धारित सीट बायो+गणित ग्रुप	–	200
7.	बी.ए. प्रथम निर्धारित सीट	–	200
8.	एम.ए./एम.कॉम प्रत्येक विषय में	–	40

टीप– 1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग के नियमों का पालन किया जावेगा।

2. प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राये निर्धारित सम्यावधि तक ही आवेदन कर सकेगें।
3. प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही किया जाएगा।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धान्ति कक्षाएँ निर्धारित समय पर हुआ करेगी।
5. प्रवेशित छात्र/छात्राओ की उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
6. महाविद्यालय अध्यापन के दौरान अनुशासन बनाये रखना आवश्यक एवं अनिवार्य।
7. अनुशासन हीनता की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोतर कक्षाओ में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. प्रयुक्तिः–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथिः–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र ,जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने मे सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय /बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क)में उल्लेखित,कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर

ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये , किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया , इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय मे अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ)के जहां उसके पालक कार्यरत थे , किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही ,स्थान (ब)के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है ,अत: अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व.प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक ,संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पशचात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था , प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण /उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करे। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय /उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन)में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय /विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय /विषस समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए ,प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकार देय है ,वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची ,प्रतिशत अंक सहित ,सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मुल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण – पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण –पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण –पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा ,तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण –पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट)के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में , निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिय थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ– साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिग /अनुशासनहीनता /तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपार्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र /छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38–1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है। का पालन किया जाए।

5.प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी ,छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी ,अर्धशासकीय

कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है , उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर , नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी .प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमश: द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-

(क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर ,बी.एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्वति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को क्रमश: एल.एल.बी. द्वितीय ,तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा,प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता ,वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पुवार्द्ध में 55 % अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/ BAR COUNCIL OF INDIA/ MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठयक्रमों में प्रवेश/ संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6.समकक्ष परीक्षा:-

6.1 सेन्ट्रल बार्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.)इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.)तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों /इंटरमीडिएट बार्ड की 10 +2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यत: भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी)के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोडकर) जो दूरवर्ती पाठयक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ राज्य में अध्ययन केन्द्र/आफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/

डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओ की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं ,जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52 अप्रैल 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठयक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे है। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठयक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठयक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम /बी.एस.-सी /बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढके किसी भी विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम ,द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनकें द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/ विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे। राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक , निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय मे पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदको को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप मे मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी

कक्षा में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा , उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मे उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो , परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों /अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ,ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पति को नष्ट करने वाले /रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है ।प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/ छात्राओं को छत्तीसगढ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वर्द्ध/ प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यत: 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों ,भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों मे प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड़) विधि संकाय को छोडकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविधालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को ,विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं मे प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है ,तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर ,तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार ,अर्हकारी परीक्षा में उतीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार ,अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित,भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उतीर्ण ,परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे ,अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों मे आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय /विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर /तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ

स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान /तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/ विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा ,किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् –

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षेतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे।विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 %अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी ,परन्तु यदि ऐसा विधार्थी किसी संवर्ग जैसे –स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी मे भरी मानी जावेगी ,शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा , 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय– समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the state Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments."

13. अधिभार:-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा ,पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा

के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा ,अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद मे लाये जाने /जमा किये जाने वाले प्रमाण -पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा ,एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./ स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स /गाइड्स /रेन्जर्स /सेवर्स के अर्थ में पढा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनायीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड मे छत्तीसगढ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विधार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	15 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद /साहित्यिक /सांस्कृतिक /क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला ,संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम ,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंर्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रिय ,राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम,द्वितीय,अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान /सांस्कृतिक /साहित्यिक /कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	छत्तीसगढ /म.प्र.का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
(ख)	प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत

13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहनः-

छत्तीसगढ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स

तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक ,खेल एवं युवका कल्याण ,छत्तीसगढ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो ,एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है ,परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन: प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछलें चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमीक सत्र तक का प्रमाण -पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय,तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण -पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय /विषय /ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 % घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जासेगा ,अधिभार घटें हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय /ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सिंतबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय /संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते है जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

विशेष:-

16.1 जाली प्रमाण पत्रो गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों,प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगें।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण , पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचर्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणो मे लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा स निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरंक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नही किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ रायपुर से प्राप्त करेगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तो मे उल्लेखित प्रावधानो की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तो मे समय-समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरसर/ संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय को होगा।

नोट - उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ तथा प्रभार

डॉ. एस.एस.अग्रवाल, प्राचार्य एवं संरक्षक

1	डॉ. एच.एन. दुबे सहा प्रा राजनीति शास्त्र-	प्रवेश संयोजक वाणिज्य संकाय, प्रभारी यू.जी.सी., रूसा, एन.एस.एस., छात्र संघ
2	प्रो. ए.के. पाण्डेय सहा प्रा इतिहास	क्रीडा, रेडक्रास, परीक्षा, सहायक जनसूचना अधिकारी नेक प्रकोष्ठ रिसर्च सेमिनार सेल एवं प्रवेश संयोजक स्नातक स्तर कला संकाय
3	प्रो.प्रतिभा कश्यप, सहा.प्रा समाजशास्त्र-	ग्रंथालय, युवा उत्सव, स्टोर प्रभारी, एल्युमनी एसोसिएशन एवं प्रवेश संयोजक विज्ञान संकाय
4	डॉ.कल्याणी जैन, सहा.प्रा हिन्दी	प्रवेश संयोजक स्नातकोत्तर, पेरेन्ट टिचर सेल एवं कम्प्यूटर आधारित समस्त पाठ्यक्रम
5	श्री यशवंत सिंह शाक्या	छात्रावास अधीक्षक
6	श्री आर.पी. सिंह, सहा.ग्रेड-01	स्थापना छात्रवृत्ति एवं अशासकीय लेखा
7	श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, सहा.ग्रेड-02	शासकीय लेखा छात्र शाखा, प्रवेश, स्थापना एवं आवक जावक
8	श्री चन्द्रभूषण मिश्रा, प्रयोग शाला शिक्षक-	विज्ञान संकाय
9	श्री अनुराग तिवारी, बुकलिफ्टर -	ग्रंथालय प्रभारी
10	श्री गिरधारी राम- भृत्य	
11	श्री रामाधार पात्रे- स्वीपर	

शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, छ.ग.

प्रवेश आवेदन पत्र 2017-2018

NAAC GRADE-B

आवेदन पत्र क्रमांक **806**

वर्ग- सामान्य/पि.व./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

प्रवेश हेतु आवेदित कक्षा..................................

रक्त समूह ....

ऐच्छिक विषय- 1. ....2..................3 ....

छात्र/छात्राएँ अपनी नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएँ एवं हस्ताक्षर करें

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)..................................
   अंग्रेजी (बडे अक्षरों में)..................................
2. पिता/अभिभावक का नाम ....
   माता का नाम ....
   जाति ....धर्म.................. व्यवसाय..................
   वार्षिक आय ....
3. आवेदक की जन्म तिथि (अंको में)..................................
   (शब्दो में)..................................
4. आवेदक का स्थायी पता..................................
   .... दूरभाष/मो. नं...................
5. आवेदक का स्थानीय पता..................................
   .... दूरभाष/मो. नं...................
6. अर्हताकारी परीक्षा का नाम ....
   प्राप्तांक/पूर्णांक ....प्रतिशत..................
7. अभिरूचियाँ-1..................2..................3..................
8. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि ....
9. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु दण्डित हुए है ? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें-
   ....
10. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन -..................................

दिनांक-..................................

....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

1. स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति) 1..................2..................3..................
2. चरित्र प्रमाण -पत्र (मूल प्रति)..................................
3. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.)..................................
4. अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो)..................
5. छत्तीसगढ़ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
   ....
6. अन्य प्रमाण -पत्र ....
7. जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति) ....
8. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि ....
9. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता पास बुक के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति जिसमें छात्र/छात्रा का नाम, खाता क्र., बैंक का IFSC कोड तथा खाताधारक का फोटो अंकित हो।
10. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जाँचोपरांत अस्थायी प्रवेश की अनुशंसा की जाती है। दिनांक .... तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा। प्रवेश संयोजक	कार्यालयीन उपयोग हेतु :- शासकीय शुल्क रसीद क्र...................राशि .... अशासकीय शुल्क रसीद क्र. ....राशि .... दिनांक .... शुल्क लिपिक

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं...ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता /करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मेरे विरूद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा हैं । मेरे द्धारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासनहीनता ,हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया गया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक..........................

पूरा नाम...

मोबाईल/फोन नं................................

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं..यह घोषणा करता हूँ कि

मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य/पाल्या (नाम)..

द्धारा दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं। मैनें महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण,कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैन्दिनी,प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूँगा।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

दिनांक..........................

पूरा नाम...

मोबाईल/फोन नं...............................

विश्वविद्यालय के अनुदेश -

छात्रों को सतत् ध्यान रखना होगा कि अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे अन्यथा उनका नाम तत्काल महाविद्यालय प्रवेश सूची से निकाल दिया जावेगा।

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय , सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, छ.ग.

ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2017-18

सदस्य संस्था रीडर्स कार्ड

संख्या

पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करें।

छात्र/छात्रा का नाम...कक्षा...............................

पिता श्री...

विषय/संकाय...सेवारत..............................

प्रवेश रसीद क्रमांकः- शासकीय...स्नातकोत्तर.......................

दिनांक..........................

वर्तमान पताः- मकान नं..वार्ड संख्या...............................

ग्राम/शहर...थाना..

तहसील...पोस्ट आंफिस..............................

जिला......................................पिन कोड...फोन नंबर.......................

मोबाइल नंबर.......................................

स्थायी पताः- मकान नं...वार्ड संख्या...............................

ग्राम/शहर...थाना..

तहसील...पोस्ट आंफिस..............................

जिला......................................पिन कोड...फोन नंबर.......................

मोबाइल नंबर.......................................

मै..आत्मज...कक्षा...............................

सेक्सन..............................सत्र...में..विषय में प्रवेश प्राप्त किया हूं। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता /चाहती हूँ।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूं। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबद्ध हूं। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हूं। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात-प्रथम सप्ताह-50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करूंगा/करूंगी। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रू. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करूंगा/करूंगी।

पुस्तक/पुस्तकें स्वच्छ/साफ-सुथरा रखूंगा/रखूंगी। विद्रुप होने पर अथवा पुस्तके / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मूल्य/पुस्तक गुमने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राशि जमा करूंगा/करूंगी।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर चेक कर घर ले जाउंगा/जाउंगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तकें नहीं है।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अनुबंध-पत्र
पिता/पालक द्वारा भरा जावे

मै..आत्मज श्री..

अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री /पाल्य/पाल्या...कक्षा...

ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक ढंग से रख-रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

स्थान:-.............................

दिनांक.............................

पूरा नाम...

मकान नम्बर...

वार्ड..

ग्राम/शहर...

पोस्ट आफिस...

पिन कोड..

फोन नं...

मोबाइल नंबर...

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

प्राचार्य

ग्रंथपाल

ANNEXURE I

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I ....(full name of student with admission/ registration/ enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs/Ms. ...., having been admitted to .... (name of the institution) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Istitutions 2009 (hereinafter called the Regulations) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I here by solemnly aver and undertake that

a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I here by affirm that if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that my be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I Have not been expelled or debarred from admission in any institution in the county on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, In case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ....day of ....month of ....year.

Signature of deponent

Name..........................

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and do part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at.................. (Place) on this the ....(day) of .... (month)..................(year)

Signature of deponent

ANNEXURE II

AFFIDAVIT BY PARENT/ GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. .... (full name of parent/ guardian) father/mother/ guardian of... student with admission/ registration/enrolment number). having been admitted to .... (name of institution) have received a copy of the UGC Regulations on curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (here in after called the Regulations) carefully read and fully understood the provisions contained the said Regulations.

2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes raggine.

3) I have also in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/ she is found guilty of or abetting raggine, actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertaken that

a) My ward will not indulge in any behavior or act that my be constituted as ragging under clauses 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that my be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that if found guilty of ragging , my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, with out prejudice to any other criminal action that my be taken against me under any penal law or any law for the tiem being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging, and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ....day of ....month of ....year.

Signature of deponent

Name.................................

Address.................................

Telephone/ M.No.....................

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at............. (place) on this the ....(day) of .... (month).......... (year)

Signature of Deponent